सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन पत्र

1. संस्था का नाम : **दीप जागृति फाउण्डेशन, ग्राम बम्हनी चारभाठा** होगा ।

2. संस्था का कार्यालय : श्री सुनील कुमार मिश्रा के निवास मकान नं0 208 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़

3. तहसील : राजनांदगांव

4. संस्था का उदेश्शय :

   1. राज्य सरकार व भारत सरकार के समस्त कल्याणकारी योजनाओं का कियान्वयन करना ।
   2. महिला एवं बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करना ।
   3. उच्च व तकनीकी शिक्षण के विकास हेतु व्यावसायिक, स्वास्थ्य ,चिकित्सा ,सूचना तकनीक एवं प्रबंधन पर आधरित शिक्षण व प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन व प्रबंधन करना ।
   4. युवाओं के शारीरिक विकास हेतु विभिन्न खेल फुटबाल हाकी एवं अन्य प्रतियोगिता का आयोजन करना ।
   5. युवाओ को स्वरोजगार ,कम्प्यूटर कैरियर गाइडेस कोचिग,शारीरिक शिक्षा आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना ।
   6. शिक्षा के विकास हेतु नर्सरी प्रायमरी से हायर सेकेण्डरी स्कूल व कालेज का संचालन व प्रबंधन करना ।
   7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सर्वागीण विकास के लिये कार्य करना ।
   8. मानव संसाधन की सेवाये उपलब्ध कराना ।
   9. जल संवर्धन पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण के लिये प्रेरित करना ।
   10. स्थानीय आवश्यकतानुसार कार्य योजना बनाकर परियोजना का क्रियान्यवन करना ।
   11. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाल एवं गदी बस्ती क्षेत्र में रहने वासियों के मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराना एवं उनके सर्वागीण विकास के लिये कार्य करना ।
   12. प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आवशक संसाधन उपलब्ध कराना एवं उन्हे सम्मानित करना ।
   13. युवक युवतियों को व्हीटीपी योजना के अंतर्गत शासन का निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुरूप जैसे कम्प्यूटर, 'सिलाई, मोटर वाईडिंग, [redacted], हस्तकला, श्रृंगार, कृषि तकनीक ,उघानिकी एवं अन्य विविध प्रशिक्षण प्रदान करना ।
   14. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति सुधारने हेतु कृषि संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण शिविर लगाना एवं कृषि संबंधी जानकारी हेतु कार्यशाला का आयोजन करना ।
   15. प्राकृतिक संपदा की रक्षा एवं प्राकृतिक संसाधन के समुचित उपयोग हेतु अभियान चलाना ।
   16. अनाथालय, विकलांग वर्ग, गरीबी वर्ग, मंदबुद्धि वर्ग, पिड़ित वृद्ध वर्ग एवं बाल विकास के उत्थान हेतु उनके आवश्यकतानुसार उन्हें हर क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना ।
   17. नवजात बालिकाओं की हत्या एवं भ्रूण हत्या को रोकने हेतु हर सतत् प्रयास करना एवं अभियान चलाना ।
   18. समाज में व्याप्त बुराईओं को दूर करने हेतु अभियान चलाना एवं सांस्कृतिक कार्यकम के माध्यम से इन बुराईयों को दूर करने हेतु सतत् प्रयास करना ।

5. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमो व्दारा गवर्नर ,परिषद ,संचालको ,समिति या शासी–निकासी को सौंपा गया है; जिनके नाम;पते तथा उपजीविका नीचे निविर्दिष्ट की गई है ।

कमांक	अभिदाता नाम	पिता / पति का नाम	पूर्ण पता	उपजीविका
01.	श्री सुनील कुमार मिश्रा	श्री इन्द्र देव मिश्रा	मकान नं0 208 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़	नौकरी
02.	श्री सुनील सहारे	श्री मनराखन सहारे	मकान नं0 208 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़	व्यवसायी
03.	श्री शिव कुमार मिश्रा	श्री इन्द्र देव मिश्रा	मकान नं0 208 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़	कृषि
04.	श्री मदन लाल यादव	श्री मनीराम यादव	मकान नं0 194 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़	मजदूरी
05.	श्रीमति ममता तिवारी	श्री नीलेश कुमार तिवारी	मकान नं0 30 ग्राम पोस्ट रेगाखारकला तहसील कवर्धा जिला–कबीरधाम छत्तीसगढ़	गृहिणी
06.	श्री राहुल तिवारी	स्व0श्री नागेन्द्र तिवारी	मकान नं0 02 ग्राम पोस्ट रामपुर तहसील व जिला कोरबा छत्तीसगढ़	व्यवसाय
07.	श्रीमति उर्मिला शुक्ला	श्री राजेश शुक्ला	हास्टिपल सेक्टर इन्द्रा कालोनी वार्ड नं0 09 दल्लीराजहरा तहसील डौण्डी जिला बालोद छत्तीसगढ़	गृहिणी
08.	श्री रोशन मिश्रा	श्री आर एम मिश्रा	म्कान नं0 140 फारेस्ट कालोनी भानुप्रताप पुर तहसील भानुप्रतापनगर जिला–उ0ब0 कान्केर छत्तीसगढ़	व्यवसाय

06. छत्तीसगढ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (कमांक 44 सन्1973)की धारा 6 के उपधारा (3)द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाइल की गई है. हम विभिन्न व्यक्ति;जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए है उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुसरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक है और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति मे ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है।

कमांक	अभिदाता का नाम	पिता का नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
01.	श्री सुनील कुमार मिश्रा	श्री इन्द्र देव मिश्रा	मकान नं0 208 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़	[signature]
02.	श्री सुनील सहारे	श्री मनराखन सहारे	मकान नं0 208 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़	[signature]
03.	श्री शिव कुमार मिश्रा	श्री इन्द्र देव मिश्रा	मकान नं0 208 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़	[signature]

04.	श्री मदन लाल यादव	श्री मनीराम यादव	मकान नं0 194 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़	मदन लाल यादव
[illegible]	श्रीमति ममता तिवारी	श्री नीलेश कुमार तिवारी	मकान नं0 30 ग्राम पोस्ट रेगाखारकला तहसील कवर्धा जिला–कबीरधाम छत्तीसगढ़	ममता तिवारी
06.	श्री राहुल तिवारी	स्व0श्री नागेन्द्र तिवारी	मकान नं0 02 ग्राम पोस्ट रामपुर तहसील व जिला कोरबा छत्तीसगढ़	Rahul
07.	श्रीमति उर्मिला शुक्ला	श्री राजेश शुक्ला	हास्टिपल सेक्टर इन्द्रा कालोनी वार्ड नं0 09 दल्लीराजहरा तहसील डौण्डी जिला बालोद छत्तीसगढ़	[illegible]
08.	श्री रोशन मिश्रा	श्री आर एम मिश्रा	म्कान नं0 140 फारेस्ट कालोनी भानुप्रताप पुर तहसील भानुप्रतापनगर जिला–उ0ब0 कान्केर छत्तीसगढ़	रोशन मिश्रा

पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़

साक्षी

उमाबाई मंडावी
सरपंच
हस्ताक्षर ....ग्राम पंचायत – बम्हनी चारभाठा
नाम– ....वि.खं.–छुरिया, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)
पूर्ण पता –.........
जिला–राजनांदगांव .(छ.ग.)

प्रति; उप पंजीयक
सोसाइटियों का रजिस्टार;
रायपुर (छ.ग.)

साक्षी
जोगेन्द्र वाल्दे
ग्रा० मरारटोला पो० चिल्हाटी
तह० अम्बागढ़ चौकी
जि० राजनांदगांव (छ.ग.)

180 2082029 30/12/12
5054
दिनांक 19/12/14 ... को
... जारी
... दिनांक 12/1/15

(D.D. Mahant)
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh
(12/1/15)

हस्ताक्षर प्रति का दिनांक 19/12/14
5054
19/12/14
पंजीयन क्र.
पंजीयन/संशोधन का ...
उप पंजीयक

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Chhattisgarh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-CG00445685032188M
Certificate Issued Date	:	29-Nov-2014 04:37 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ cgshcil01/ RAJNANDGAON/ CG-RN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-CGCGSHCIL0100466792443985M
Purchased by	:	JAGENDRA KUMAR WALDE
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JAGENDRA KUMAR WALDE
Second Party	:	N A
Stamp Duty Paid By	:	JAGENDRA KUMAR WALDE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

SHCIL, RAJNANDGAON e-Stamp

उप पंजीयक संस्थाएँ छत्तीसगढ़

Please write or type below this line

15/1/15

(D.D. Mahant)
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh

XM 0002110539

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

नियमावली

1. संस्था का नाम : **दीप जागृति फाउण्डेशन, ग्राम बम्हनी चारभाठा** होगा ।
2. संस्था का कार्यालय : श्री सुनील कुमार मिश्रा के निवास मकान नं0 208 ग्राम पोस्ट बम्हनी चारभाठा तहसील छुरिया जिला–राजनांदगांव छत्तीसगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : **सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य**
4. **संस्था का उदेश्शय :**

   1. राज्य सरकार व भारत सरकार के समस्त कल्याणकारी योजनाओं का कियान्वयन करना ।
   2. महिला एवं बच्चों के कल्याण के लिये कार्य करना ।
   3. उच्च व तकनीकी शिक्षण के विकास हेतु व्यावसायिक, स्वास्थ्य ,चिकित्सा ,सूचना तकनीक ए प्रबंधन पर आधरित शिक्षण व प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन व प्रबंधन करना ।
   4. युवाओं के शारीरिक विकास हेतु विभिन्न खेल फुटबाल हाकी एवं अन्य प्रतियोगिता का आयोजन करना ।
   5. युवाओ को स्वरोजगार ,कम्प्यूटर कैरियर गाइडेस कोचिग,शारीरिक शिक्षा आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना ।
   6. शिक्षा के विकास हेतु नर्सरी प्रायमरी से हायर सेकेण्डरी स्कूल व कालेज का संचालन व प्रबंधन करना ।
   7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के सर्वागीण विकास के लिये कार्य करना ।
   8. मानव संसाधन की सेवाये उपलब्ध कराना ।
   9. जल संवर्धन पर्यावरण संरक्षण वृक्षारोपण के लिये प्रेरित करना ।
   10. स्थानीय आवश्यकतानुसार कार्य योजना बनाकर परियोजना का कियान्यवन करना ।
   11. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाल एवं गुढ़ी बस्ती क्षेत्र में रहने वासियों के मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराना एवं उनके सर्वागीण विकास के लिये कार्य करना ।
   12. प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना एवं उन्हे सम्मानित करना ।
   13. युवक युवतियों को व्हीटीपी योजना के अंतर्गत शासन का निर्धारित पाठ्यकमों के अनुरूप जैसे कम्प्यूटर, सिलाई, मोटर वाईडिंग, [redacted], हस्तकला, श्रृंगार कृषि तकनीक ,उघानिकी एवं अन्य विविध प्रशिक्षण प्रदान करना ।
   14. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति सुधारने हेतु कृषि संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण शिविर लगाना एवं कृषि संबंधी जानकारी हेतु कार्यशाला का आयोजन करना ।
   15. प्राकृतिक संपदा की रक्षा एवं प्राकृतिक संसाधन के समुचित उपयोग हेतु अभियान चलाना ।
   16. अनाथालय, विकलांग वर्ग, गरीबी वर्ग, मंदबुद्धि वर्ग, पिड़ित वृद्ध वर्ग एवं बाल विकास के उत्थान हेतु उनके आवश्यकतानुसार उन्हें हर क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना ।
   17. नवजात बालिकाओं की हत्या एवं भ्रूण हत्या को रोकने हेतु हर सतत् प्रयास करना एवं अभियान चलाना ।
   18. समाज में व्याप्त बुराईओं को दूर करने हेतु अभियान चलाना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इन बुराईयों को दूर करने हेतु सतत् प्रयास करना ।

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

6. **सदस्यता की प्राप्ति** : प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकायरिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या आमान्य करने का अधिकार होगा !

7– **सदस्यों की योग्यता :– संस्था सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए**

अ/ आयु 18 वर्ष से कम न हो ब/ भारतीय नागरिक हो

य/ समिति के नियमों की पालन की प्रतिज्ञा करता हो द/ सदचारित्र तथा मघपान न करता हों

8– **सदस्यता की समाप्ति** : संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी ।

अ/मृत्यु हो जाने पर ब/पागल हो जाने पर

स/संस्था की देय चन्दे की रकम नियम 5 मे बताये अनुसार जमा न करने पर

द/ त्याग–पत्र देने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

9–**संस्था कार्यालय मे सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमे निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे ।**

1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता तथा व्यवसाय
2. वह तारिख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.
3. वह तारिख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो । 4– सदस्यो के हस्ताक्षर

12/12/14
5054
19/12/14

10. अ. **साधारण सभा.:** साधारण सभा मे नियम 5 मे दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह जून तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक की कारण 3/5 सदस्यो का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी ।उसमें सस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबधित आम सभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि यह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिन्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

ब. **प्रबन्धकारिणी सभा** : प्रबन्धकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य की भेजी जाना आवंश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी ।यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी ।

स. **विशेष** : –यदि कम से कम कुल सख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 3/5 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी 1 विशेष संकल्प पारित हो जाने पर . संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध मे आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर Sunil **हस्ताक्षर** Shiva **हस्ताक्षर**

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :**

क. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिय विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत
ख. संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी दृारा प्रस्तुत हो ।
छ. बजठ का अनुमोदन ।

12. **.प्रबन्धकारिणी का गठन:** नियम 5 (अ. ब. स.) दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यो का निर्वाचन होगा ।

(अ.) अध्यक्ष (ब.) उपाध्यक्ष– (स.) सचिव (द.) कोषाध्यक्ष
(ई.) संयुक्त सचिव एवं सदस्य –03

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल :** प्रबन्ध समिति का कार्यकाल तीव वर्ष होगा समिति का यथेष्टा कारण होने पर समय तक जब तक कि नई प्रबन्धकारिणी समिति का निर्णय नियमानुसार या अन्य कारणों से नही हो जाता करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नही होगी जिसका अनुमोन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :**

अ. जिस उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति 3 का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
ब. पिछले वर्ष का आय –व्यय की लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
स. समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । सस्था की चल–अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुंगतान करना।
द. कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
इ. अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्धारा समय–समय पर सौपे जाए।
च. संस्था की समस्त चल –अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।
छ. सस्था द्धारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्टार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय दृारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नही की जाएगी ।
ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधरण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधरण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मतों से संशोधित पारित होने का उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा ।

12/12/14
5054
19/12/14

15. **अध्यक्ष के अधिकार** :अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्धारा साधारण सभा मे से प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा ।अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों मे निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार** : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्धारा साधारण सभा एवं प्रबधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

हस्ताक्षर Sunil हस्तााक्षर Shiva हस्ताक्षर

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना, ।
2. समिति की आय –व्यय की लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करने साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी का देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय मे रूपये 15,000/–व्यय करना का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार :** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार :** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. बैक खाता– संस्था की समस्त निधि अनुसूचित बैक या पोस्ट आफिस में रहेगी । बैंक खाता अध्यक्ष या सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त नाम से होगा। धन का आहरण इनमे से किन्ही दो के सयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिनियम रूपये 20,000/– रहेगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी –** अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय –नियम शुल्क के साथ भेजेगी ।

22. **संशोधन–** संस्था के विधान में संशोधन सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मत से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान मे संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय– नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

23. **विघटन–**संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों कें 3/5 मत से पारित किया जावेगा ।विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौपा दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार की जावेगी ।

24. **सम्पति –**संस्था की समस्त चल अचल सम्पति संस्था के नाम से होगी। संस्था की अचल सम्पति स्थावर रजिस्टर फर्म्स एवं सोसायटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी । एवं उक्त हेतु शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. **बैक खाता–** संस्था की समस्त निधि अनुसुचित बैक या पोस्ट आफिस में रहेगी । एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रकिया जारी रहेगी।

हस्ताक्षर Seel हस्ताक्षर Siva हस्ताक्षर

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना– संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाया जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटी की बैठक बुलाने का अधिकार होगा ।साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

27– विवाद– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । इस निश्चित से या निर्णयों से पक्षों को सतोषं न हो तो वह रजिस्टार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगें ।रजिस्टार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा'। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्टार को होगा ।

28 अर्थदण्ड निष्कासन–

(क) जो सदस्य वार्षिक चदे की रकम उस वर्ष में निम्नानुसार जमा नही करेगा तो उसका तीन माह के के अन्दर चंदे की रकम के साथ अदा करना होगा ।

(ख) जो सदस्य चंदे की रकम को निश्चित अवधि में अदा नही करेगा तो उसको तीन माह के अन्दर 25 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करना होगा ।

(ग) वार्षिक या मासिक चंदा देने वाला कोई व्यक्ति यदि छः माह तक निश्चित अवधि के बाद लगातार चंदा नही दे तो ऐसे व्यक्ति को कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है ।

(घ) सदस्य द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात लगातार छः माह तक चंदा नही देने पर एसे सदस्य प्रबंध कारिंणी द्वारा एक नोटिस दिया जायेगा । उक्त नोटिस के जवाब के आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य के नाम काटने का निर्णय करेगी । यदि नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है ।

(ङ) प्रबंधकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने पर संतोष हो जाये कि कोई सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरित कार्य कर रहा है या नियमो का पालन नही कर रहा है । या समिति की सम्पत्ति को हानि पहुंचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है जो समिति को किसी प्रकार से भी हानि कारक हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे सदस्य को सदस्यता समाप्त करने के संबध में प्रस्ताव साधारण सभा की बैठक में उपस्थिति सदस्यों के तीन पंचनामा के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा ।

हस्ताक्षर Sunil   हस्ताक्षर Shiv   हस्ताक्षर

180 ... 30/12/14 ... 30/12/14 ... 12/1/15

(D.D. Mahant)
Dy. Registrar 12/1/15
Firms & Societies
Chhattisgarh

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Chhattisgarh

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-CG00445672497540M**
Certificate Issued Date	:	29-Nov-2014 04:37 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ cgshcil01/ RAJNANDGAON/ CG-RN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-CGCGSHCIL0100466808823316M
Purchased by	:	JAGENDRA KUMAR WALDE
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	JAGENDRA KUMAR WALDE
Second Party	:	N A
Stamp Duty Paid By	:	JAGENDRA KUMAR WALDE
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

SHCIL, RAJNANDGAON ★ e-Stamp ★

उप पंजीयक रायपुर छत्तीसगढ़

----------Please write or type below this line----------

(D.D. Mahant)
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh

XM 0002110540

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.